भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 24

सोमवार, 21 जुलाई, 2025 / 30 आषाढ़, 1947 (शक)

समाधान पोर्टल

24. डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्री मनोज तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाधान पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अवैध बर्खास्तगी, मातृत्व लाभ के गैर-भुगतान, न्यूनतम वेतन, विलंबित भुगतान, कम भुगतान, ओवरटाइम भत्ते के गैर-भुगतान और अन्य के संबंध में दर्ज शिकायतों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) निपटाई गई शिकायतों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित शिकायतों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शिकायतों के समाधान में लगने वाला औसत समय कितना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कामगारों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं द्वारा **समाधान** पोर्टल पर फाइल किए गए औद्योगिक विवाद, दावे और शिकायतें, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संचालित की जाती हैं।

विभिन्न अधिनियमों जैसे उपदान संदाय अधिनियम 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद (सेवा-समाप्ति सहित), दावों और प्राप्त, निपटाई गई और लंबित सामान्य शिकायतों का क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

विवादों और दावों का समाधान सीआईआरएम अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें संबंधित अधिनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। विवादों और दावों को सुलझाने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों जैसे शिकायतों की प्रकृति, शामिल शिकायतकर्ताओं/ट्रेड यूनियनों की संख्या; मांगों की संख्या और प्रकृति, वित्तीय देयताएं आदि पर निर्भर करता है।

* *****

अनुबंध

'समाधान पोर्टल' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री मनोज तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

समाधान पोर्टल; क्षेत्र-वार आँकड़े

क्र. सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25									वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)								
		औद्योगिक विवाद (सेवा-समाप्ति सहित)			दावे (विभिन्न अधिनियमों, पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू के तहत)			सामन्य शिकायतें			औद्योगिक विवाद (सेवा-समाप्ति सहित)			दावे (विभिन्न अधिनियमों पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू के तहत)			सामन्य शिकायतें		
		प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए	प्राप्त	निपटाए गए
1	अहमदाबाद	843	726	117	720	585	135	723	582	141	253	118	135	252	131	121	259	103	156
2	अजमेर	665	576	89	860	653	207	522	391	131	260	134	126	303	169	134	212	96	116
3	आसनसोल	256	170	86	290	144	146	146	127	19	122	23	99	224	53	171	37	25	12
4	बेंगलुरु	755	612	143	1431	962	469	640	516	124	305	141	164	727	211	516	278	128	150
5	भुवनेश्वर	562	442	120	481	289	192	291	169	122	515	72	443	360	51	309	98	25	73
6	चंडीगढ़	1213	1031	182	1972	1342	630	1127	962	165	468	243	225	997	267	730	546	327	219
7	चेन्नई	754	620	134	1610	1094	516	577	360	217	252	86	166	843	213	630	236	99	137
8	कोचीन	837	679	158	552	217	335	313	208	105	260	90	170	389	49	340	109	43	66
9	देहरादून	755	662	93	1828	907	921	970	729	241	274	184	90	1184	350	834	388	264	124
10	दिल्ली	2321	1703	618	2850	1223	1627	1104	688	416	886	337	549	2206	528	1678	314	45	269
11	धनबाद	518	346	172	1276	828	448	337	171	166	234	61	173	641	167	474	142	41	101
12	गुवाहाटी	170	144	26	261	198	63	160	81	79	44	26	18	89	51	38	77	4	73
13	हैदराबाद	847	739	108	3383	1491	1892	838	590	248	243	139	104	2100	978	1122	228	74	154
14	जबलपुर	646	589	57	2823	2524	299	860	533	327	173	101	72	462	143	319	342	102	240
15	कानपुर	891	784	107	981	717	264	675	370	305	217	72	145	562	134	428	240	20	220
16	कोलकाता	587	451	136	1291	565	726	443	314	129	291	70	221	1340	108	1232	197	85	112
17	मुंबई	879	678	201	2901	1197	1704	1145	638	507	370	153	217	1985	522	1463	870	42	828
18	नागपुर	500	204	296	780	436	344	494	78	416	324	20	304	472	223	249	493	10	483
19	पटना	423	381	42	901	581	320	969	912	57	102	43	59	450	143	307	139	96	43
20	रायपुर	423	378	45	484	364	120	276	146	130	104	35	69	301	28	273	104	7	97

- प्राप्त और लंबित मामलों में पिछले वित्तीय वर्ष के मामले + वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त/लंबित मामले शामिल हैं।
- पीजी : उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- एमडब्ल्यू : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948
- एमबी : प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- ईआर : समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- पीडब्ल्यू : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1936

*****